रणवीर रणञ्जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

['A' Grade Institution Accredited by NAAC]
अमेठी (उत्तर प्रदेश) पिन– 227405
संबद्ध–डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक :– .... दिनांक– 28.11.2023

सूचना (छात्रवृत्ति)

महाविद्यालय में सत्र 2023–24 अध्ययनरत सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति फार्म भरने की आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। छात्र/छात्राएं निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए छात्रवृत्ति फार्म भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दें। आनलाइन फार्म भरने के बाद फाइनल सबमिट करके उसे दो प्रतियों में महाविद्यालय में निम्नलिखित काउंटरों पर जमा कराना सुनिश्चित करें।

क्रमांक	काउंटर	कक्षा
1.	01	एम0ए0–द्वितीय वर्ष सभी विषय
2.	03	बी0एस–सी0–I,II,III (वर्ष)
3.	05	एम0ए–प्रथम (वर्ष) सभी विषय
4.	07	बी0ए0–I,III,(वर्ष) बी0काम0– I (वर्ष)
5.	पुस्तकालय श्री दिनेश तिवारी	बी0एस–सी0–(AG) I,II,III,IV (वर्ष), एम0एस–सी0–I,II (वर्ष), सभी विषय, एम0काम0– I,II (वर्ष),
6.	पुस्तकालय श्री रवि सेहगल	बी0काम0– I,II (वर्ष),
7.	08	बी0ए0– II (वर्ष)
8.	11	बी0एड्0 (स्ववित्त पोषित) तथा (वित्तपोषित) I,II (वर्ष), एम0एड्0 I,II (वर्ष), बी0सी0ए0 I,II (वर्ष), बी0पी0एड्0 I,II (वर्ष),

विशिष्ट निर्देशः—1.छात्रवृत्ति फार्म दिनाँक 28.12.2023 से महाविद्यालय के सम्बन्धित काउंटरों पर प्रातः 10:00 बजे से 01:30 तक जमा होगा।

2.छात्रवृत्ति फार्म आनलाइन करके महाविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है।

3.छात्रवृत्ति फार्म के साथ आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर), पासबुक की फोटो कॉपी (खाता आधार से लिंक तथा N.P.C.I. मैंपर से मैंप होना चाहिए), आधार कार्ड, महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क की रसीद तथा समस्त शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल, इण्टर तथा पिछली कक्षा के दोनो सेमेस्टर का अंकपत्र स्वप्रमाणित) संलग्न कर ही काउंटर पर जमा करें।

4-N.P.C.I. का अर्थ है नेशनल पेमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया जिन खाता धारकों को सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सरकार की तरफ से धनराशि स्थानान्तरित की जाती है उनका खाता आधार से लिंक होना तो जरूरी है ही साथ में N.P.C.I. के पोर्टल पर खाते को लिंक कराना अनिवार्य होता है जिसे आम भाषा में N.P.C.I. मैंपिंग कहा जाता है। यह कार्य खाता धारक सिर्फ अपने बैंक में जाकर ही करवा सकते हैं। आनलाइन खुद लिंक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी खाता धारक के पास एक से अधिक खाता है ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही खाते की N.P.C.I. मैंपिंग होगी। इस सूचना के साथ ही N.P.C.I. मैंपर से सम्बन्धित सूचना अलग से चस्पा की जा रही है। इसे छात्र/छात्राएं जरूर पढ़ लें।

5.छात्र/छात्राएं जो आनलाइन छात्रवृत्ति फार्म की हार्डकॉपी महाविद्यालय में जमा करेंगे उसमें पावती रसीद भी आनलाइन निकलवाकर सम्बन्धित लिपिक से पावती प्राप्त कर लें।

6.जिन छात्र/छात्राओं ने पिछले वर्ष छात्रवृत्ति का फार्म भरा था वे छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति फार्म नवीनीकरण कैटेगरी में ही भरेंगे। चाहे उनको छात्रवृत्ति मिली हो या नहीं। ऐसे छात्रों का फ्रेस कैटेगरी का फार्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

7.सभी छात्र/छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है इससे कम उपस्थिति होने पर उनका छात्रवृत्ति फार्म महाविद्यालय द्वारा बिना

किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएं लिए गये विषय में से किसी एक विषय के विभागाध्यक्ष से अपनी उपस्थिति (किसी एक विषय के) अपने छात्रवृत्ति फार्म पर अंकित करवाकर तथा उनका स्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर ही छात्रवृत्ति फार्म सम्बन्धित काउंटर पर जमा करेगें। परास्नातक स्तर पर छात्र/छात्राएं अपने विषय के विभागाध्यक्ष से उपस्थिति लिखवाकर तथा उनका स्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर ही छात्रवृत्ति फार्म सम्बन्धित काउंटर पर जमा करें।

8.एक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के बाद दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बीच यदि एक साल से अधिक का अंतर है तो उसके लिए वर्ष अन्तराल का प्रमाणपत्र 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी बनवाकर छात्रवृत्ति फार्म के साथ जमा करें।

9.आय प्रमाणपत्र समान्य तथा पिछड़ा वर्ग के लिए दो लाख रूपये सालाना तथा अनूसूचित जाति एवं जनजाति के लिए ढाई लाख रूपये से अधिक न हो।

10.आय प्रमाणपत्र माता पिता या अभिभावक के नाम ही होना चाहिए जिसमें छात्र या छात्रा का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

11.बी0पी0एड्0 तथा बी0एड्0 के छात्र/छात्राएं जिनका स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक हैं छात्रवृत्ति फार्म भरने के अयोग्य माने जाएगें उनका फार्म महाविद्यालय स्तर से अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

12.बी0एड्0 में जिन छात्र/छात्राओं ने बिना काउंसिलिंग कराये ही महाविद्यालय में सीधे प्रवेश लिया है वे भी छात्रवृत्ति फार्म भरने के अयोग्य माने जाएगें।

13.इस महाविद्यालय में पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित तथा नियमित दो कैटेगरी में संचालित किये जाते हैं जिनकी सूचना अलग से इस सूचना के साथ चस्पा की जा रही है। इसी सूचना में छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति फार्म में भरने के लिए अपना शुल्क भी देख सकते हैं।

14.दोनो सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर ही छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण माने जायेगें। छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछले वर्ष के दोनो सेमेस्टर का अंकपत्र लगाना अनिवार्य है अन्यथा संस्था स्तर से छात्रवृत्ति फार्म निरस्त कर दिया जएगा।

15.छात्रवृत्ति फार्म भरने के लिए हाईस्कूल तथा आधार का डाटा एक समान होना जरूरी है अन्यथा छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति फार्म भरने से वंचित रह जाएंगे। जिन छात्र/छात्राओं ने अभी तक अपने आधार कार्ड में संशोधन नहीं करवाया है वे तत्काल अपना आधारकार्ड हाईस्कूल के डाटा के अनुरूप संशोधित कर लें।

विशेष नोटः–1.छात्र/छात्राओं के हित में इस पूरी सूचना को जिसमें मुख्य सूचना, **N.P.C.I.** मैंपर से सम्बन्धित सूचना, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश तथा शुल्क तालिका एवं कैटेगरी तथा अन्य समस्त सूचनाएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जा रही हैं जिससे छात्र/छात्राएं सारी सूचनाएं डाउनलोड कर सकते हैं।

2.इस सूचना को विषय अध्यापकों के द्वारा बनाए गये ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है जो छात्र/छात्राएं अभी तक अपने विषय अध्यापक के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वे तुरन्त उनके साथ जुड़कर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

3.छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि को ध्यान में रखते हुए तत्तकाल छात्रवृत्ति फार्म भरकर जमा करने की कोशिश करें जिन छात्र/छात्राओं का फार्म जितना जल्दी जमा होगा उसे धनराशि भी उतनी ही शीघ्रता से मिलेगी बाद में फार्म जमा करने वाले छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति फार्म का वेरीफिकेशन वेबसाइट के धीमी गति से चलने के कारण प्रभावित हो सकता है इसलिए सभी छात्र अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें एवं शीघ्र अति शीघ्र छात्रवृत्ति फार्म आनलाइन करवाकर उसकी दो प्रति महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित काउंटरों पर जमा करें। अन्यथा छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4.टेलीग्राम के माध्यम से भी छात्र/छात्राएं **rrpgscholorship** सर्च करके छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचनाएं देख सकते हैं।

5.छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने हेतु अर्हय होने पर ही छात्रवृत्ति फार्म भरें।

6.छात्र/छात्राएं यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें प्राप्त छात्रवृत्ति तथा प्रतिपूर्ति शुल्क की समस्त धनराशि ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा।

20/4/2023

(प्रो0 पी0 के0 श्रीवास्तव)
प्राचार्य

रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अमेठी
फीस तथा सीटों का विवरण
वित्त पोषित पाठ्य क्रम
2023—24

क्रमांक	कक्षा	प्रवेश हेतु सीटों की संख्या	लिए जाने वाले शुल्क का विवरण
1.	बी.ए.प्रथम	1640	1779
2.	बी.ए.द्वितीय	2280	1711
3.	बी.ए.तृतीय	2280	2111
4.	बी.एड.प्रथम	88	2920
5.	बी.एड.द्वितीय	88	2920
6.	एम.ए.अंग्रेजी प्रथम (लिटरेचर / लैगुवेज)	80	1959
7.	एम.ए.अंग्रेजी द्वितीय (लिटरेचर / लैगुवेज)	80	2459
8.	एम.ए.भूगोल प्रथम	54	2199
9.	एम.ए. भूगोल द्वितीय	54	2699
10.	एम.ए.समाजशास्त्र प्रथम	80	1959
11.	एम.ए.समाजशास्त्र द्वितीय	80	2459
12.	एम.ए.हिन्दी प्रथम (लिटरेचर)	80	1959
13.	एम.ए. हिन्दी द्वितीय (लिटरेचर)	80	2459
14.	एम.ए.मध्य इतिहास प्रथम	80	1959
15.	एम.ए.मध्य इतिहास द्वितीय	80	2459
16.	एम.ए.संस्कृत प्रथम	80	1959
17.	एम.ए.संस्कृत द्वितीय	80	2459
18.	एम.ए.राजनीति विज्ञान प्रथम	80	1959
19.	एम.ए.राजनीति विज्ञान द्वितीय	80	2459
20.	एम.एड.प्रथम	15	5485
21.	एम.एड.द्वितीय	15	6272

रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अमेठी
फीस तथा सीटों का विवरण
स्ववित्त पोषित पाठ्य क्रम (2023–24)

क्रमांक	कक्षा	प्रवेश हेतु सीटों की संख्या	लिए जाने वाले शुल्क का विवरण
1.	बी.काम.प्रथम	300	5000
2.	बी.काम.द्वितीय	300	5000
3.	बी.काम.तृतीय	300	5000
4.	बी.एस.सी.प्रथम	560	5000
5.	बी.एस.सी.द्वितीय	560	5000
6.	बी.एस.सी.तृतीय	560	5000
7.	बी.सी.ए.प्रथम	60	11772
8.	बी.सी.ए.द्वितीय	60	11572
9.	बी.सी.ए.तृतीय	60	12072
10.	एम.काम.प्रथम	80	6000
11.	एम.काम.द्वितीय	80	6000
12.	एम.एस.सी बॉटनी प्रथम	38	6000
13.	एम.एस.सी बॉटनी द्वितीय	38	6000
14.	एम.एस.सी जूलोजी प्रथम	38	6000
15.	एम.एस.सी जूलोजी द्वितीय	38	6000
16.	एम.एस.सी.केमेस्ट्री प्रथम	50	6000
17.	एम.एस.सी.केमेस्ट्री द्वितीय	50	6000
18.	एम.ए.(एजूकेशन) प्रथम	80	6000
19.	एम.ए.(एजूकेशन) द्वितीय	80	6000
20.	बी.पी.एड्.प्रथम	50	51250
21.	बी.पी.एड्.द्वितीय	50	30000
22.	बी.एड्. प्रथम	110	51250
23.	बी.एड्. द्वितीय	110	30000
24.	बी.एस.सी.प्रथम (कृषि)	300	31982
25.	बी.एस.सी.प्रथम (कृषि)	300	31982
26.	बी.एस.सी.तृतीय (कृषि)	300	31982
27.	बी.एस.सी.चतुर्थ (कृषि)	300	31982
28.	एम.एस–सी.प्रथम (गणित)	38	6000
29	एम.एस–सी.द्वितीय (गणित)	38	6000
30.	एम.एस–सी.प्रथम (भौतिकी)	38	6000
31.	एम.एस–सी.द्वितीय (भौतिकी)	38	6000

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1—छात्र क्या करें:—

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक (प्रथम वर्ष को छोड़कर), आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक।
- हाई—स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक ।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा।
- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022—23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण—पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण—पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण—पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (**Non Refundable fees**) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (**GOVT**) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (**AIDED**) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (**Regular**)/स्ववित्त पोषित (**SELF FINANCE**) व उसके वर्ष का अंकन सही—सही ध्यानपूर्वक करें।

Ashok

- छात्र/छात्रायें स्वंय का ई0–मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु **https://scholarship.up.gov.in** पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास(Pass)/प्रोन्नत **(Promoted with marks)** के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड **(Result Not yet Declared)** के आप्शन के साथ आवेदन कर सकते है, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

निदेशक
समाज कल्याण

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक मु०

(सिद्धार्थ ...
सहायक निदेशक (...
मुख्यालय